

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA, JABALPUR (M.P.)
(Formerly, University of Jabalpur)
(NAAC Accredited 'B' Grade University)

कुलसचिव

Registrar



Phone : (0761) 4009762

Website : www.rdunijbpm.nic.in
e-mail : rdvcc1@rediffmail.com

क्र./कु.स./2020/कु.का./119

दिनांक: 25 मार्च, 2020

प्रति,

थाना प्रमारी
थाना सिविल लाइन,
जबलपुर (म.प्र.)

विषय: विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में सोशल मीडिया में भ्रामक एवं कूटरचित आदेश प्रसारित किए जाने के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने के संबंध में।

महोदय,

आज दिनांक 25 मार्च, 2020 को वाट्सएप के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कुलसचिव के नाम से एक कूटरचित एवं भ्रामक आदेश जारी किया गया है (मुद्रित प्रति संलग्न) जो कि पूर्णतः असत्य है। विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। इस झूठे एवं कूटरचित आदेश से सभी संबंधितों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई है।

अतः इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर दोषियों के विरुद्ध तत्काल आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार

(प्रो. कमलेश मिश्र)

कुलसचिव

दिनांक: 25 मार्च, 2020

पू.क्र./कु.स./2020/कु.का./119 31'
प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल (म.प्र.) को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल (म.प्र.)को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला-जबलपुर (म.प्र.) को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला-जबलपुर (म.प्र.) को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कुलपति जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
6. सम्पादक महोदय, समस्त स्थानीय समाचार पत्र को इस निवेदन के साथ कि कृपया इसे आगामी अंक में छात्रहित में प्रकाशित करने की कष्ट करें ताकि विद्यार्थियों में किसी तरह की भ्रम की स्थिति निर्मित न हो।



(प्रो. कमलेश मिश्र) 25.3.2020
कुलसचिव